

प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय भत्तों का पुनरीक्षण

1/ गृह भाडा भत्ता

वर्तमान में देय	पुनरीक्षण उपरांत
छठवें वेतनमान में मूल वेतन के आधार पर वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर नगरों की निर्धारित श्रेणी A, B, C एवं D के अनुसार क्रमशः 10% , 7%, 5% एवं 3% के आधार पर	सातवें वेतनमान में मूल वेतन के आधार पर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर नगरों की निर्धारित श्रेणी A, B, C के अनुसार क्रमशः 10% , 7% एवं 5% आधार पर

2/ वाहन / परिवहन भत्ता

प्रदेश के भोपाल, इंदौर , ग्वालियर एवं जबलपुर मुख्यालयों पर पदस्थ तथा इस नगर निगमों की सीमा में निवासरत शासकीय सेवकों को देय

क्रमांक	विवरण	वर्तमान में देय	पुनरीक्षण उपरांत	अन्य
1.	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों हेतु	रु. 200/- प्रतिमाह	रु 384/- प्रतिमाह	192 प्रतिशत
2.	निःशक्त कर्मचारियों हेतु	रु. 350/- प्रतिमाह	रु 671/- प्रतिमाह	

3/ मंत्रालयीन अधिकारियों हेतु विशेष भत्ता

(राशि रूपये में)

क्र.	पदनाम	वर्तमान में स्वीकृत दर प्रतिमाह	वृद्धि दर प्रतिमाह
1	2	3	4
1	अपर सचिव	1950/-	5012/-
2	उप सचिव	1460/-	3750/-
3	अवर सचिव / स्टाफ आफिसर	1220/-	3135/-

4/ सचिवालयीन / मंत्रालयीन भत्ता

(राशि रुपये में)

क्र.	पदनाम / श्रेणी	वर्तमान में स्वीकृत दर (प्रतिमाह)	वृद्धि दर (प्रतिमाह)
1	अनुभाग अधिकारी / निज सचिव (राजपत्रित अधिकारी)	620/-	1594/-
2	निज सहायक	540/-	1388/-
3	शीघ्रलेखक	540/-	1388/-
4	सहायक ग्रेड--1	540/-	1388/-
5	सहायक ग्रेड-2	485/-	1246/-
6	सहायक ग्रेड-3	485/-	1246/-
7	स्टेनोग्राफिस्ट	485/-	1246/-
8	तकनीकी कर्मचारी	485/-	1246/-
9	चतुर्थ श्रेणी	410/-	1054/-

5/ स्थायी यात्रा भत्ता

(राशि रुपये में)

क्र.	कर्मचारी का प्रवर्ग	वर्तमान में स्वीकृत दर प्रतिमाह	पुनरीक्षित उपरांत
1	राजस्व निरीक्षक	300/-	502/-
2	विक्रय अमीन	300/-	502/-
3	सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्रामसेवक)/सहायक विकास विस्तार अधिकारी	300/-	502/-
4	पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक	300/-	502/-
5	पंचायत समन्वय अधिकारी	300/-	502/-
6	जिला और तहसीलों में राजस्व भृत्य तथा जमादार	250/-	411/-
7	वन विभाग के चेनमेन	250/-	411/-
8	राजस्व, न्यायालय तथा वाणिज्यिक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर	250/-	411/-
9	पटवारी (राजस्व विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले)	250/-	411/-
10	जिला कार्यकारी बल के प्रधान आरक्षक	200/-	329/-
11	जिला कार्यकारी बल के आरक्षक	125/-	205/-

6/ शासकीय सेवक की मृत्यु पर देय अनुग्रह अनुदान भत्ता

वर्तमान में देय	पुनरीक्षण उपरांत
छठवें वेतनमान में 06 माह के वेतन के बराबर अधिकतम 50,000/-	सातवें वेतनमान में 06 माह के वेतन के बराबर अधिकतम 1,25,000/-

7/ अव्यवसायिक भत्ता

वर्तमान में देय	पुनरीक्षण उपरांत
छठवें वेतनमान में मूल वेतन का 25 प्रतिशत	सातवें वेतनमान में मूल वेतन का 20 प्रतिशत

8/ दोहरा कार्य भत्ता (शासकीय सेवकों को अपने कार्य के साथ साथ अन्य उच्च पद का अतिरिक्त कार्य किये जाने पर)

वर्तमान में देय	पुनरीक्षण उपरांत
जिस उच्च पद का अतिरिक्त कार्य किया गया हो अथवा उनके मूल पद के निकटतम उच्च पद (सेवा भर्ती नियमों के अनुसार) के ग्रेड वेतन दोनों में से जो न्यून हो के आधार पर किया जाएगा।	जिस उच्च पद का अतिरिक्त कार्य किया गया हो अथवा उनके मूल पद से सेवाभर्ती नियमों के अनुसार आगामी पद के वेतनमान के न्यूनतम स्तर (मेट्रिक्स लेविल) जो भी कम हो में देय एक वेतनवृद्धि के तुल्य के आधार पर किया जाएगा।

9/ यात्रा भत्ता

i. वाहन भत्ता :-

(प्रतिमाह)

शासकीय कर्तव्य पर तय दूरी मासिक औसत (किलोमीटर)	स्वयं की मोटरकार से.		सवारी के दूसरे साधन से एक हॉर्स पावर या उससे अधिक शक्ति के वाहन से	
	वर्तमान में देय	पुनरीक्षित	वर्तमान में देय	पुनरीक्षित
201 से 300	925	1350	375	550
301 से 450	1400	2050	500	750
451 से 600	1700	2500	625	950
601 से 800	2000	3000	750	1100
800 से अधिक	2500	3700	850	1250

(ii) समेकित दैनिक भत्ता-

(प्रतिदिन)

श्रेणी	साधारण दर		प्रदेश के चार बड़े नगरों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर) एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों के लिये विशेष दर .		दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद कानपुर एवं पुणे के लिये विशेष दर .	
	वर्तमान में देय	पुनरीक्षित				
			वर्तमान में देय	पुनरीक्षित	वर्तमान में देय	पुनरीक्षित
1	2	3	4	5	6	7
ए	250	375	375	550	500	750
बी	200	300	300	440	400	600
सी	150	225	225	330	300	450
डी	125	185	185	280	250	375
ई	85	125	130	190	175	260

(iii) मील भत्ता-

क्र.	शासकीय सेवक की श्रेणी	मील भत्ते की दर प्रति किलोमीटर ₹		अधिकतम सीमा प्रतिमाह ₹ में	
		वर्तमान में देय	पुनरीक्षण उपरांत	वर्तमान में देय	पुनरीक्षण उपरांत
1	ए श्रेणी कार्यपालिक पदों पर नियुक्त अधिकारी, जिन्हे शासकीय वाहन आवंटित नहीं है, को निजी मोटरकार से यात्रा करने पर (मित्र की कार सम्मिलित नहीं है)	6	9	12500	18300
2	सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों द्वारा निजी मोटर साईकल अथवा स्कूटर से यात्रा करने पर	2.5	4	2500	3700
3	शासकीय सेवक के द्वारा अन्य साधन से शासकीय यात्रा करने पर	1.25	2	600	880

(IV) प्रदेश के बाहर यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन

(₹ प्रतिदिन)

क्र.	शासकीय सेवक की श्रेणी.	स्थानीय परिवहन हेतु प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि (₹ में)	परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने पर देय राशि (₹ में)		
		वर्तमान में देय	पुनरीक्षण उपरांत	वर्तमान में देय	पुनरीक्षण उपरांत
1	2	3	4	5	6
1	ए	1500	2200	325	500
2	बी	1000	1500	250	380
3	सी	625	1000	185	300
4	डी	375	600	125	200
5	ई	185	300	60	100

(V) स्थानान्तरण पर घरेलू सामान का परिवहन-

दर ₹ प्रति किलोमीटर

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	वर्तमान में देय	पुनरीक्षण उपरांत स्वीकृत
1	"ए" एवं "बी"	25	40
2	"सी" एवं "डी"	15	25
3	"ई"	10	15

(VI) स्थानान्तरण अनुदान :-

(राशि ₹ में)

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	वर्तमान में देय	पुनरीक्षित दर
1	ए	3750	6500
2	बी	3000	5000
3	सी	2250	3600
4	डी	1500	2500
5	ई	1125	1800